

थाना अलापुर पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र व कारतूस के गिरफ्तार किया गया।

डा० ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व एवं प्रभारी निरीक्षक अलापुर के द्वारा गौकशी करने वाले अभियुक्तों के सत्यापन व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त नदीम पुत्र शब्बीर नि० वार्ड नं० 18 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं को ककराला अलापुर रोड पर बने यात्री शैड कस्बा ककराला थाना अलापुर बदायूं मय एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना अलापुर पर मु०अ०सं० 474/2023 धारा 3/25 (1-B)a A ACT पंजीकृत कर उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम प्रचलित हिस्ट्रीशीटर

1. मु०अ०सं० 815/15 धारा 3/5/8 CS ACT थाना अलापुर जनपद बदायूं
2. मु०अ०सं० 76/21 धारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अलापुर जिला बदायूं
3. मु०अ०सं० 77/21 धारा 147/148/149/307/504 भादवि थाना अलापुर जनपद बदायूं
4. मु०अ०सं० 75/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना अलापुर जनपद बदायूं
5. मु०अ०सं० 474/2023 धारा 3/25 (1-B)a A ACT थाना अलापुर जनपद बदायूं

बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।